

कार्यालय संयुक्त संचालक, शिक्षा
संभाग बस्तर, जगदलपुर(छ०ग०)

Phone Number & Fax No: 07782-299312

Email id: jdedu.bastar@gmail.com

:-:0 आदेश 0:-

जगदलपुर, दिनांक 10/12/2021

क्रमांक/3930/स्था.-02/व्यायाम शि./टी.संवर्ग/2021.

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर के पत्र क्रमांक एफ-आर नं. 1103/2019/20-दो, अटल नगर, दिनांक 09.03.2019 के अनुक्रम में लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक/स्था./विज्ञापन/सीधी भर्ती/2019/422-PA, अटल नगर, दिनांक 09.03.2019 के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया था। छ.ग.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 12-22/2020/20-दो, नवा रायपुर, दिनांक 19.02.2021 के अनुक्रम में विज्ञापित पदों हेतु छ.ग. व्यापम द्वारा जारी परीक्षा परिणाम दिनांक 30.09.2019 की दरीयता के आधार पर आपके दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत शिक्षक "टी" संवर्ग, विषय व्यायाम शिक्षक के पद पर आपके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर, शिक्षक तृतीय श्रेणी सातवें वेतनमान के वेतन मैट्रिक्स लेवल 08 के पद पर नियुक्त करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 6 में अंकित शाला में पदस्थ किया जाता है :-

सोल नंबर	अभ्यर्थी का नाम	पिता/माता/पति का नाम	जाति वर्ग	पता	पदांकित शाला का नाम
1	2	3	4	5	6
22041058	DEVESH SAHU	RAVI SHANKER SAHU	OBC	DEVESH SAHU RAVI SHANKER SAHU-124 HTPS COLONY DARRI K2 VIHAR JAMNIPALI CHHATTISGARH 495450	शा० हाईस्कूल गोगपाल वि०खंड कुआकोण्डा जिला दतेवाड़ा

(हेमंत उपाध्याय)

संयुक्त संचालक, शिक्षा
संभाग बस्तर, जगदलपुर(छ०ग०)

उपरोक्त नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी :-

- चयनित शिक्षक दिनांक 27.12.2021 तक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जिला मेडिकल बोर्ड के फिटनेस प्रमाण-पत्र सहित दस्तावेजों के मिलान उपरांत ही पदांकित शाला में कार्यभार ग्रहण कर सकेंगे। विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक को ही वास्तविक रूप से कार्यभार ग्रहण माना जायेगा। कार्यभार ग्रहण न करने पर यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।
- छ.ग.शासन, वित्त विभाग द्वारा जारी वित्त निर्देश 21/2020, दिनांक 29.07.2020 एवं अधिसूचना दिनांक 28.07.2020 के अनुसार सीधी भर्ती के पदों पर चयनित शासकीय सेवकों को तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में निम्नानुसार स्टायपेन्ड देय होगा :-
 - प्रथम वर्ष - उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत.
 - द्वितीय वर्ष - उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत.
 - तृतीय वर्ष - उप पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत.

परंतु परिवीक्षा अवधि में स्टायपेन्ड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह प्राप्त होंगे। शिक्षक के पद पर नियुक्ति तीन वर्ष की परिवीक्षा पर तथा अस्थायी होगी। परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में उचित एवं पर्याप्त कारणों के आधार पर परिवीक्षा अवधि 01 वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी।